बिहारका उग्रवाद अलगाववादी नहीं, जातिवादी

बिहारमें तेजीसे बढ़ता उग्रवाद अभीतक राष्ट्रीय मुख्यधारमें शामिल नहीं हुआ है न ही केन्द्र सरकारका ध्यान इस ओर गया है, पर अब तो समय आ गया है जब बिहारके मामलेको गम्भीरतासे लिया जाय। अगर यह मानकर चला जाय कि सिर्फ उसी उग्रवादी हिंसाको जनजीवनकी शान्तिके लिए खतराके रूपमें लें जिसमें विदेशोंका हाथ हो और जिससे अलगाववादको बढ़ावा मिले तब तो और बात है। लेकिन जब खून-खराब इस हदतक पहुंच जाय कि लोग गांव-इलाका छोड़-छोड़कर भागने लगें, कोई रातभर सो न सके, दोपहरको घरसे बाहर निकले तो शामतक यह अन्देशा होने लगे कि अब उसकी कहीं लाश नजर आयेगी तो उसे हल्के ढंगसे नहीं लिया जा सकता। चिन्ताकी बात यही है कि स्थिति काबूसे बाहर होनेके बावजूद बिहार सरकार इसे हल्के ढंगसे ले रही है। आम जनतामें त्राहि-त्राहि मची है।

उत्तर-पूर्वी राज्योंमें आजसे नहीं आजादीके समयसे ही विद्रोही गुट सक्रिय हैं, लेकिन वहांकी सरकारोंने या उन राज्योंकी ओरसे केन्द्र सरकारने कभी अपनी कमजोरी जाहिर नहीं होने दी। यहांतक कि कश्मीर और पंजाबकी सरकारोंने हमेशा सुरक्षा बलोंके हौसले बुलन्द किये। जबकि केन्द्र सरकारको भी इन दोनों राज्योंकी समस्यासे जूझना काफी महंगा पड़ रहा है और उन उपद्रवग्रस्त राज्योंमें कानून और व्यवस्थाको चुनौती देनेवालोंको इतनी हिम्मत कभी नहीं हुई कि गांव-गांवमें उनकी अपनी अदालत हो और उनका फैसला सबको मजबूरन मानना पड़े।

बिहारके उग्रवादी वास्तवमें जातिवादी है। इसे उग्रवादी हिंसा कहकर कितना भी महिमामण्डित क्यों न किया जाय, इसकी जड़में जातिगत संघर्ष है और एक जातिवाले दूसरी जातिके खिलाफ वर्चस्वकी खुंदक निकालनेके लिए भारी-भारी हथियारोंका जमकर इस्तेमाल कर रहे हैं जिसके आगे पुलिस बिल्कुल कमजोर साबित हो रही है। इस अराजकतासे भयाक्रान्त हर नौजवान अपनी और अपने परिवारके लोगोंकी सुरक्षाके लिए भूमिगत उग्रवादी होना पसन्द करता है ताकि समाजमें दादागिरी कायम रहे, साथ-हाथ पुलिस भी उससे टकराव मोल लेनेकी जुर्रत न करे। गांवका युवक अपनी-अपनी जातिका दबदबा बनानेके लिए कालेज जानेके बजाय हथियार चलाने और थाना लूटनेकी ट्रेनिंग लेता है। इस ट्रेनिंग सेण्टरसे डिप्लोमा प्राप्त नौजवानोंके हाथमें सब कुछ होता है। वो जिस किसी भी जमींदारको कहता है कि इतनी रकम अमुक स्थानपर अमुक समयमें पहुंचा दें वर्ना अंजाम बुरा होगा तो उस डिप्लोमाधारीका आदेश मानना जमींदारकी मजबूरी है क्योंकि अगर उसने कहीं अपनी सुरक्षाके लिए पुलिसकी मदद लेनेकी कोशिशकी तो फिर कोई ताकत उस जमींदारकी जान नहीं बच सकती। इन्हें नक्सली भी नहीं कहा जा सकता क्योंकि नक्सल सिद्धान्तमें जातिके आधारपर खूनी क्रान्ति करनेका प्रावधान नहीं है।

उग्रवादका रूप ले चुका यह संघर्ष मूल रूपमें जमींदारों और उन भूमिहीनोंके बीच है जो २२ वीं सदीमें भी समाजमें उपेक्षा और प्रताड़नाकी जिन्दगीसे ऊबकर आज हथियार हाथमें ले बैठे हैं। इसमें किसी जाति विशेषको दोषी नहीं ठहराया जा सकता। आजसे दस साल पहले बड़े भूस्वामी मुख्य रूपसे ऊंची जातिके लोग (विशेषकर भूमिहार और राजपूत) थे, जिनका पिछड़ी जातियों और हरिजनोंके प्रति काफी घटिया नजरिया था। लेकिन इधरपांच-दस वर्षोंसे सम्पन्नताके मामलेमें जातीय समीकरण बदल गया है। अब पिछड़ी जातियोंके पास इतना पैसा हो गया है ताकि वे ऊंची जातिवालोंको उन्हींके स्टाइलसे आंख दिखा सकें और यही है संघर्षकी जड़। इस मामलेमें मध्य बिहारका माहौल अन्य जिलोंके मुकाबले जरा ज्यादा खूनी हो गया क्योंकि यहां ऊंची जाति और पिछड़ी जातियोंकी हैसियत बराबर हो गयी है। मुख्य मन्त्री लालू प्रसादजीके जातीय भावनाओंको भड़कानेवाले भाषणोंने और भी उतेजना फैला दी। इस जातीय संघर्षका सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ रहा है हरिजनोंको। उनके लिए समस्या हो गयी है कि वे किसका साथ दें किसका विरोध करें कि बिलकुल तटस्थ रहें। हरिजनोंकी दशामें कोई सुधार नहीं हुआ है जिसके चलते विभिन्न उग्रवादी संघटनोंके बीच चल रही वर्चस्वकी लड़ाईमें ये निर्दोष लोग मारे जाते हैं।

प्रतिशोधकी आगने उग्रवादियोंको अत्यन्त क्रूर और अमानवीय बना दिया है। पहले तो ये रातके सोतेमें झोपड़ियोंमें आग लगा देते हैं और उसके बाद घरसे बाहर भागनेवालोंको या तो गोलियोंसे भून देते हैं अथवा उठा-उठाकर आगमें ही फेंक देते हैं। एम सी सी हमलेका जवाब देनेके लिए जनता दल और सी पी आई (एम एल) वाले उसी अन्दाजमें एम सी सी समर्थक हरिजन इलाकेमें कहर मचाते हैं।

किसी भी सरकारने भूमिविवादको गम्भीरतासे नहीं लिया जो हिंसाकी जड़ है। एम सी सी अभी मध्य बिहारके गया, चतरा, और गाबाद और भोजपुर जिलोंमें सबसे सशक्त उग्रवादी गुटके रूपमें उभरा है। अपने प्रभाववाले तमाम इलाकोंमें एम सी सी की समानान्तर सरकार चलती है, इसकी अपनी अदालत है और उस अदालतका फैसला अन्तिम होता है। पुलिस और प्रशासन उस फैसलेका कार्यान्वयन नहीं रोक सकते। सरकार सब कुछ जानते हुए भी लाचार है। एम सी सी उग्रवादी आम तौरपर उन लोगोंको सजा देते हैं जो उनके बारेमें पुलिसको अथवा उनके प्रतिद्वन्द्वी संघटनको गुप्त सूचना देते हैं। ऐसे लोगोंको एम सी सी का कोपभाजन बननेएँ से न तो पुलिस बचा पाती है न ही एम सी सी के अन्य विरोधी संघटन।

उग्रवादी सबसे ज्यादा उजाड़ और अत्यन्त पिछड़े इलाकोंमें सक्रिय हैं जहां उन्हें पहाड़ों और जंगलोंमें सुरक्षित छिपे रहनेमें आसानी होती है। पुलिसकर्मियोंके पास न तो वाहन है, न टेलीफोन न वायरलेस। उग्रवादी खूब मजेमें थाना फूंककर चल देते हैं बड़े अधिकारियोंके चरण तभी पड़ते हैं जब कोई बड़ा हत्याकाण्ड हो जाय। ऐसे मौकेपर मुख्य मन्त्री बड़ी-बड़ी घोषणाएं कर डालते हैं जिनमें बिहार सशस्त्र पुलिसकी चार नयी बटालियनें बनानेसे लेकर उग्रवादियोंसे निबटनेके लिए विशेष प्रशिक्षण अभियान चलाना भी शामिल है। विगत दिनों मुख्य मन्त्रीने मुख्य रूपसे बढ़ते अपराधोंकी समीक्षाके लिए राज्यके तमाम वरिष्ठ अधिकारियोंकी बैठक बुलायी और उसमें भी इस बातपर जोर दिया गया कि सभी थानोंको वायरलेस और गाड़ी दी जायगी। जो पुलिसकर्मी हिम्मत करके मुठभेड़में अपनी जान गंवा बैठते हैं उनके परिवारको भी मुआवजेकी रकमके लिए सरकारी कार्यालयोंका चक्कर लगाते-लगाते अपनी आधी जिन्दगी कुर्बान कर देनी होती है।

हालमें खूनकी राजनीतिमें विश्वास करनेवाला दो संघटन अन्य सबको पीछे छोड़नेकी कोशिशमें जुटा है और वो हैं एम के एस एस पार्टी युनिटी और लालखण्डी। लालखण्डियोंने अपना कार्य क्षेत्र दक्षिण बिहारके पलामू, डाल्टनगंज और हजारीबागमें सीमित कर रखा है। एम के एस एस (मजदूर किसान संग्राम समिति) और एम सी सी एक साथ सक्रिय हैं। ऊंची जातिवालोंकी शिकायत है कि उन्हें प्रशाससे कोई मदद नहीं मिलती और उन लोगोंके मारे जानेपर सरकारकी ओरसे कोई झांकने भी नहीं आता जबकि पिछड़ी जातियों और हरिजनोंके मारे जानेपर मुख्य मन्त्री स्वयं पहुंच जाते हैं और प्रशासन तुरन्त सक्रिय हो जाता है। ऊंची जातिवालोंने भी सवर्ण लिबरेशन फ्रण्ट सनलाईट सेना, रणवीर सेना टाइपसे अपने लठैतोंके संघटन बना रखे हैं जिनकी बदौलत हमला और जवाबी हमला चलता रहता है। एम सी सी पहली बार प्रकाशमें आया १९८७ में जब उसने एक ही दिन औरंगाबाद जिलेके दलेलचक बघौरामें एक जाति विशेषके ५३ लोगोंकी हत्या कर दी और राज्य सरकारने इसपर प्रतिबन्ध लगा दिया।

१९७० दशकमें इण्डियन पीपुल्स फ्रण्ट और सी बी आई (एम एल) का उदय होता है। सी बी आई (एम एल) के वर्तमान महासचिव विनोद मिश्र काफी समयतक असममें भूमिगत रहनेके बाद बिहार आयें और बिहारमें अपना जनाधार तैयार करके उन्होंने राजनीतिक जीवन अपना लिया। आई पी एफ तो पहले ही खूनकी राजनीति छोड़कर चुनावी राजनीति अपना चुका था। आई पी एफ को पिछले विधानसभा चुनावमें भी अच्छा स्थान मिला था और इस बार सी पी आई (एम एल) के साथ मिलकर छः सीटें हासिल की हैं। अब फ्रण्टके संस्थापक नागभूषण पटनायक लगभग पीछे पड़ चुके हैं, विनोद मिश्र ही हावी हैं जो स्वयं खूनकी राजनीतिमें विश्वास करते थे। इसकी वजह यह है कि इन दोनों संघटनोंकी पैदाइश ही भू-सामन्तों द्वारा भूमिहीन खेतिहर मजदूरोंके शोषणसे हुई है। इन दोनोंने तो अपनी लड़ाई लड़नेके लिए संसदीय प्रणाली अपनी ली, लेकिन एम सी सी इस प्रणालीको अपनानेके लिए बिल्कुल तैयार नहीं हैं।

यों तो बिहारमें ऊंची जातियोंके जमींदारों द्वारा अति पिछड़ी जातियोंके खेतिहर मजदूरोंका शोषण कोई नयी बात नहीं है। बिहारी मजदूरोंका बड़ी संख्यामें हरियाणा, पंजाब, दिल्ली और अन्य राज्योंकी ओर पलायनकी जड़में बिहारी जमींदारोंका अपमानजनक व्यवहार ही है लेकिन जनता दलकी सरकारने बिहारमें एक नयी प्रवृत्तिकी शुरुआत की जिसने बढ़ते-पढ़ते खूनी रंग ले लिया और पूरा बिहार जातीय विद्वेषकी आगमें जल रहा है।

पिछले पांच वर्षोंमें जनता दल सरकारने सबसे ज्यादा समझदारीसे जो काम किया है वो है समाजमें जातीय उन्माद भड़काना। इसलिए इस अवधिमें सबसे ज्यादा जातिवादी भड़का भी जिसे 'उग्रवाद' की संज्ञा दी जा रही है। इस दौरान हुए सभी छोटे-बड़े हत्याकाण्डोंका विवरण बताता है कि हत्यारोंने एक-एक आदमीको घरसे बाहर निकालकर उनकी जाति पूछी और तब गांवके बाहर ले जाकर उनकी हत्या की। अपनेको वामपन्थी दिखाते हुए जनता दल सरकारपर जातिवादि होनेका आरोप लगानेवाले ये तथाकथित उग्रवादी मूलतः जातिवादी ही हैं और पता नहीं इन नेताओंको किस मार्क्समाओ और लेनिनने प्रभावित किया है जो जातिवादके आधारपर खूनी क्रान्ति करना चाहते हैं। भागलपुर और आसपासके जिलोंमें एक अन्य उग्रवादी संघटन शहतीपाल मजुमदारके नेतृत्वमें आतंक मचा रखा है। पुलिस स्वीकार करती है कि गत तीन वर्षोंमें इस संघटनने दर्जनों लोगोंको मौतके घाट उतारा है और पुलिसको उसका सुराग नहीं मिल पाया है।

-शशिधर खां

बिहारके उग्रवादी वास्तवमें जातिवादी है। इसे उग्रवादी हिंसा कहकर कितना भी महिमामण्डित क्यों न किया जाय, इसकी जड़में जातिगत संघर्ष है और एक जातिवाले दूसरी जातिके खिलाफ वर्चस्वकी खुंदक निकालनेके लिए भारी-भारी हथियारोंका जमकर इस्तेमाल कर रहे हैं जिसके आगे पुलिस बिल्कुल कमजोर साबित हो रही है। इस अराजकतासे भयाक्रान्त हर नौजवान अपनी और अपने परिवारके लोगोंकी सुरक्षाके लिए भूमिगत उग्रवादी होना पसन्द करता है ताकि समाजमें दादागिरी कायम रहे, साथ-साथ पुलिस भी उससे टकराव मोल लेनेकी जुर्रत न करे।

आज 14.9.1995